मु० नं० विविध 32/2023

शकुन्तला बनाम पप्पूराम

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ
	20-6-24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 4-7-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
4-7-24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 15-7-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
15-7-24	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार बसवा से वांछित रिपोर्ट प्राप्त हुई, बहस प्रार्थी वकील सुनी गई निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 32/23
प्रकरण रज्जु दिनांक : 25.7.2023
निर्णय दिनांक 15.7.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

शकुन्तला पत्नी मुथरेश जाति मीना निवासी कौलाना तह.बसवा

(प्रार्थी)

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र गील्याराम जाति मीना निवासी कौलाना तह.बसवा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.072024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट श्री अमरसिंह गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम कौलाना में सिथत है जिसकी प्रार्थिया खातेदार काश्तकार है । प्रार्थिया उक्त भूमि की काश्तकार खातेदार है जिसके निकट की भूमि अप्रार्थी की है प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगडे होते रहीते हैं व प्रार्थिया व अप्रार्थी की खाग डोल धीरे–धीरे विस्मार हो रही है । प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि काश्त काखाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि की दिनांक 26.6.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया । सीमाज्ञान के बाद अप्रार्थी ने सीमा को गलत बताते हुए जबरन अपनी भूमि को प्रार्थिया के कब्जे की भूमि बताना चालू कर दिया । दिनांक 10.7.2023 को प्रार्थिया जब अपनी भूमि पर थी तो अप्रार्थी व उसका परिवार एकराय होकर प्रार्थिया के खेत पर आए ओर कहने लगे की पटवारी ने गलत सीमाज्ञान कर दिया है । हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा लेंगे । अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम कौलाना तहसील बसवा की पत्थरगढी करवाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 बाद तामील भी प्रकरण में अनुपस्थित रहे, लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण के कम में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बसवा से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2024/2919 दिनांक 9.7.2024 के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

अपनी रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश की जिसमें तहसीलदार बसवा द्वारा अंकन किया गया कि ग्राम कौलाना के खाता संख्या 247 खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर में शकुन्तला पत्नी मुथरेश जाति मीना के नाम दर्ज रिकोर्ड है । उपरोक्त भूमि पर उपरोक्त खातेदारान का ही कब्जा काश्त है । उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान 20.6.2023 को पटवारी हलका द्वारा सीमाज्ञान करवा दिया गया है । उपरोक्त खसरा नंबर पर पडौसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद है । अतः पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.6.2023 का अवलोकन किया । इस सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि आज दिनांक 26.6.2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश क्रमांक भू.अ./2023/2282 दिनांक 14.6.2023 व प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप कौलाना में श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के मौखिक आदेश अनुसार पटवारी हलका करनावर व बडियालखुर्द के साथ मौके पर सीमाज्ञान के लिये पहुँची । श्रीमान् जी मौके पर प्रार्थी शकुन्तला देवी के ससुर उपस्थित मिले । श्रीमान् जी राजस्व रिकोर्ड व मौका स्थिति का मिलान किया गया । मुताबिक राजस्व रिकोर्ड (गै.मु.चाह) खसरा नंबर 329 व खसरा नंबर 517 व 530, 529 के मध्य सिथत तिमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर का सीमाज्ञान किया गया एवं सभी कौनो पर निशान लगवाये गये व सीमाएं समझा गई । मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया । उपस्थित हाजीरान के हस्ताक्षर करवाये गये ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी । बहस उपरांत यह सुस्पष्ट हुआ कि उक्त खसरा नंबरान पर सीमाज्ञान हो चुका है एवं पत्थरगढी करने में कोई तकनीकी रूकावट प्रतीत नहीं होती है । लिहाज उचित पाते हैं कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.6.2023 के अनुसार ग्राम कौलाना का खाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी की जावे । इस हेतु तहसीलदार बसवा से प्राप्त पत्र भी इस भूमि की पत्थरगढी की अनुशंषा करता है ।

निर्णय

अतः आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.6.2023 ग्राम कौलाना का खाता संख्या नया 247 पुराना 72 के खसरा नंबर 1306/533 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली मिसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी, बसवा।
जिला दौसा।